(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 215–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–2004 पारित द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 91/2000–01/स्वमेव निगरानी.

———

1. शेरसिंह मृतक द्वारा विधिक वारिसान –
   (अ) शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेरसिंह
   (ब) महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेरसिंह
2– उॅकार सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह
3– ओमप्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री श्यामसिंह
4– ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री श्यामसिंह
5– सूर्य प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री श्यामसिंह
6– ज्ञानसिंह मृतक द्वारा विधिक वारिसान –
   (अ) श्रीमती रोली राँठौड़ पत्नी स्व. श्री ज्ञानसिंह
   (ब) देव प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री ज्ञानसिंह
   नाबालिग सरपरस्त मां रोली राठौड़
7– श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व. श्री श्यामसिंह
पत्नी सुरेन्द्र सिंह तोमर
सभी निवासीगण श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

———

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4 मई, 2016 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 91/2000–01/

स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–10–04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पूर्वाधिकारी तहसीलदार सिंह को शासन के आदेशों के अनुकम में ग्राम श्योपुर की भूमि सर्वे नंबर 138/2, 139/1, 140/1 रकबा 4 बीघा भूमि दुग्ध डेयरी के लिए, उनके द्वारा शासन की सेवाएं की जाने के बदले में उपहार स्वरूप बिना प्रब्याजी तथा भूभाटक के अपर कलेक्टर के प्र0क0 7/81–82 में पारित आदेश दिनांक 14–5–1982 के द्वारा सामान्य शर्तों के साथ–साथ अन्य शर्तों के साथ दी गई थी । राजस्व निरीक्षक द्वारा एक प्रतिवेदन जिसमें दिनांक अंकित नहीं है, नजूल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया कि सर्वे नं. 138/2 नजूल शीट कमांक 4 भूखंड कमांक 4 क्षेत्रफल 0.732 हैक्टर अभिलेख में पड़ती कदीम अंकित है, उक्त नजूल भूमि का भू अभिलेख में प्रबंधक विद्युत विभाग (शासकीय) अंकित किया जाना उचित है । इस प्रस्ताव के आधार पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 14–7–94 द्वारा उक्त भूमि विद्युत विभाग दर्ज किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध तहसीलदार सिंह द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 28–6–95 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं प्रकरण में विधिवत जांच कर, स्थल निरीक्षण कराकर एवं निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात विधिवत आदेश पारित करने के निर्देश दिए । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 28–6–95 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 5–7–2000 द्वारा प्रकरण में आये तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए तथा स्वयं उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि तहसीलदार सिंह के वारिसान उक्त भूमि का उपयोग अभी भी दुग्ध डेयरी के लिए कर रहे हैं । म0प्र0 विद्युत मंडल का सब स्टेशन भी वहीं स्थापित है । उनके सुचारू संचालन के लिए विद्युत मंडल ने 80×130 फीट जमीन की मांग की गई है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर ने तहसीलदार सिंह को दी गई उक्त भूमि में विद्युत मंडल के लिए 80×130 फीट भूमि आवंटित किए जाने के बाद शेष बची जमीन को पूर्व में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिए गए पट्टे के अनुसार यथावत तहसीलदार सिंह के वारिसान के नाम किए जाने के आदेश दिये । यह भी आदेश दिए कि उक्त जमीन पर प्रवेश हेतु सड़क से रास्ता खुला रहेगा । अपर आयुक्त ने तहसीलदार के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेते हुए आवेदकगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया एवं उनका जबाव प्राप्त कर आलोच्य आदेश द्वारा यह

तो माना कि आवेदकों के दादा स्व. श्री तहसीलदार सिंह को शासकीय भूमि दुग्ध डेरी संचालन के लिए दी गई थी और उसका उपयोग वर्तमान तक अनावेदकगण द्वारा किया जा रहा है किंतु उन्होंने यह मानते हुए कि आवेदकों द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है शासकीय पट्टे पर दी गई भूमि को राज्य शासन अपनी आवश्यकतानुसार कभी भी वापिस कर सकता है और उन्होंने अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभयपक्ष के अभ्झिभाषकों के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आावेदकों के पूर्वज तहसीलदार सिंह को शासन की सेवाओं के बदले प्रब्याजी एवं भू–भाटक लिए बिना दुग्ध डेयरी हेतु संपादन के लिए दी गई थी । तहसीलदार सिंह ने अपने जीवन काल में प्रश्नाधीन भूमि पर दुग्ध डेयरी का संचालन किया और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसों द्वारा किया गया और वर्तमान में भी किया जा रहा है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर ने वर्ष 1994 में आवेदकों को सुने बिना प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 विद्युत मंडल को आवंटित की गई जिसके विरूद्ध तहसीलदार सिंह द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो स्वीकार हुई एवं प्रकरण में अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित हुआ । प्रत्यावर्तित उपरांत अपर कलेक्टर ने विधिवत जांच कर एवं स्वयं स्थल निरीक्षण करने के उपरांत दिनांक 5–7–2000 को आदेश पारित करते हुए विद्युत विभाग द्वारा चाही गई 80×130 वर्गफुट भूमि उन्हें आवंटित की गई एवं शेष भूमि पर आवेदकों का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपर कलेक्टर के आदेश को बिना किसी आधार के स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में अवैधानिकता की है ।

यह तर्क दिया गया कि विद्युत विभाग द्वारा सम्पूर्ण भूमि की मांग नहीं की गई थी मात्र 80×130 फुट भूमि की मांग दिनांक 05–6–2000 को की गई थी इस संबंध में उनके द्वारा तर्कों के दौरान अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री के पत्र दिनांक अति. अ.यं./श्यो. कार्य/2000/731 दिनांक 05–6–2000 जो कलेक्टर, जिला श्योपुर को भेजा गया है कि फोटो प्रति पेश की गई है ।

उनके द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के पैरा 7 में स्वयं यह माना है कि आवेदकों के दादा स्व. श्री तहसीलदार सिंह को शासकीय भूमि दुग्ध डेरी

संचालन के लिए दी गई थी और उसका उपयोग वर्तमान तक अनावेदकगण द्वारा किया जा रहा है इसके उपरांत भी उन्होंने यह मानते हुए कि आवेदकों द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया यह आधार कि अपर कलेक्टर श्री पिल्लई जिन्होंने इस प्रकरण में दिनांक 5–7–2000 को आदेश पारित किया है, आदेश पारित करने के दिनांक को अपर कलेक्टर नहीं थे क्योंकि उन्होंने 24–6–2000 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्योपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया था, भी अभिलेख के विपरीत है क्योंकि श्री पिल्लई अपर कलेक्टर, श्योपुर के पद पर दिनांक 7–7–2000 तक पदस्थ रहे थे । इस संबंध में उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर, श्योपुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी का पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदक के पूर्वाधिकारी तहसीलदार सिंह को प्रश्नाधीन भूमि आावेदकों के पूर्वज तहसीलदार सिंह को शासन की सेवाओं के बदले वर्ष 1982 में दी गई थी । संहिता की धारा 158 (3) में वर्ष 1992 में हुए संशोधन के फलस्वरूप उक्त भूमि पर आवेदकों को भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 5–7–2000 यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में आवेदकों के पूर्वाधिकारी तहसीलदार सिंह को जिस उद्धेश्य के लिए भूमि दी गई थी उसका उपयोग उनके द्वारा उक्त उद्धेश्य के लिए नहीं किया गया । इसलिए विद्वान आयुक्त ने अपर कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने तथा भूमि शासकीय दर्ज करने के जो आदेश दिया है वह उचित है । उनके द्वारा आयुक्त के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकों के पूर्वज तहसीलदार सिंह को शासन की सेवाओं के बदले बिना प्रब्याजी एवं भू भाटक लिए दी गई थी । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में पूर्व में

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जो पूरी त्रुटिपूर्ण था के आधार पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 14–7–94 द्वारा उक्त भूमि विद्युत विभाग दर्ज किए जाने के आदेश दिए, इस आदेश के विरूद्ध तहसीलदार सिंह द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 28–6–95 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं प्रकरण में विधिवत जांच कर, स्थल निरीक्षण कराकर एवं निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात विधिवत आदेश पारित करने के निर्देश दिए । इस आदेश को कोई चुनौती अनावेदक शासन या विद्युत विभाग की ओर से नहीं दी गई, इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त के आदेश के उपरांत अपर कलेक्टर ने प्रकरण में कार्यवाही करते हुए स्वयं प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है और विद्युत मंडल द्वारा पूर्व से स्थापित सब स्टेशन के सुचारू संचालन के लिए मांग किए जाने पर आवेदकों को आवंटित भूमि में से विद्युत मंडल की आवश्यकता को देखते हुए उनकी मांग के अनुसार 80×130 फुट भूमि उन्हें दिए जाने तथा शेष भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए हैं । यद्यपि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को अनुदान में दी गई भूमि विद्युत मंडल में से 80×130 फुट भूमि विद्युत मंडल को देना प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण है परंतु चूंकि आवेदकों द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है बल्कि स्वयं यह कहा गया कि भूमि जनहित की सुविधा को ध्यान में रखकर विद्युत मंडल को दी गई है, इसलिए उन्हें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर के इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । आयुक्त ने स्वयं अपने आदेश के पैरा 7 में यह उल्लेख किया है कि अनावेदकगण (इस न्यायालय में आवेदकगण) के दादा स्व. तहसीलदार सिंह राठौड़ को शासकीय भूमि दुग्ध डेरी हेतु दी गई थी तथा उसका उपयोग वर्तमान में उनके वारिसानों आवेदकों द्वारा किया जा रहा है । इसके उपरांत भी उनके द्वारा आवेदकों के पिता को दिये गये पट्टे को निरस्त करना पूर्णतया अवैधानिक है । आवेदकों द्वारा शर्तों का उल्लंघन किस आधार पर किया जा रहा है, इसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में नहीं किया है । आयुक्त ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदकों के पूर्वज तहसीलदार सिंह को भूमि शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है बल्कि तहसीलदार सिंह को उनके द्वारा शासन की सेवाएं की जाने के बदले में उपहार स्वरूप बिना प्रब्याजी तथा भूभाटक के दी गई है । आवेदक के इस तर्क में भी बल है कि संहिता की धारा 158 (3) में वर्ष 1992 में हुए संशोधन के फलस्वरूप आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त

हो जाते हैं । जहां तक आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में लिया गया यह आधार कि श्री पिल्लई अपर कलेक्टर द्वारा शासन के आदेश के पालन में दिनांक 24–6–2000 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था और इस कारण वे 24–6–2000 के बाद अपर कलेक्टर नहीं रह गये थे भी अभिलेख के विपरीत है क्योंकि आवेदक की ओर से कार्यालय कलेक्टर, श्योपुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत पत्र की प्रति पेश की गई है जो लोक दस्तावेज है और जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है इस पत्र के अनुसार श्री पिल्लई दिनांक 7–7–2000 तक अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री पिल्लई, अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 5–7–2000 को पारित आदेश को उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर मानना भी त्रुटिपूर्ण है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्र0क0 91/2000–01/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–10–04 विधिसम्मत न होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा प्र0क0 18/85–86/अ–20(4) पारित आदेश दिनांक 5–7–2000 स्थिर रखा जाता है । चूंकि तहसीलदार सिंह मृत हो चुके हैं अतः उनके वारिसान (आवेदकगण) का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तद्नसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर